The Research Dialogue
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-2, July 2022
www.theresearchdialogue.com

# नाबार्ड की संगठनात्मक संरचना एवं कार्य

**डॉ. लोहंस कुमार कल्याणी**

असिस्टेंट प्रोफेसर
बी.एड. विभाग
श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज.गोंडा

नाबार्ड का प्रबन्धन एक, निदेशक मण्डल (Board of Directors) द्वारा किया जाता है। जिसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा किया जाता है। निदेशक मण्डल में एक्त अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निर्देशक तथा 13 अन्य निदेशक होते हैं जो कि ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ, सहकारी बैंकों, व्यापारिक बैंकों, रिजर्व बैंक, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। एक सलाहकारी परिषद् (Advisory Council) भी होती है जिसमें नाबार्ड के डायरेक्टर्स तथा अन्य लोग होते हैं जो सम्बन्धित विषय के विशेष जानकार माने जाते हैं।

स्थापना के समय नाबार्ड की अधिकृत पूँजी 500 करोड़ रुपये तथा चुकता पूंजी (Paid-UD) 100 करोड़ रुपये करने की बात कही गई। नाबार्ड की पूँजी का आधा भाग केन्द्र सरकार ने तथा आधा भाग रिजर्व बैंक ने दिया है। नाबार्ड अल्पकालिक साख क्रियाओं के लिए कोष (Funds) रिजर्व बैंक से प्राप्त करता है। जबकि दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार खुले बाजार में बाण्डों की बिक्री द्वारा तथा राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन कार्यवाही) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष से प्राप्त करता है। नाबार्ड की स्थापना के बाद राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष के समस्त संसाधनों को एक पत्र द्वारा नाबार्ड को हस्तगत कर दिया गया है। केन्द्र सरकार की अनुमति से देश के अन्दर व देश के बाहर (विदेशों) के बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा बाण्डों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा खुले बाजार से भी बैंक आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त कर सकता है। इस बैंक को केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्व बैंक से तथा अन्य द्विपक्षीय व बहुपक्षीय एजेन्सियों से भी आवश्यकतानुसार ऋण लेने का अधिकार है।

जहाँ तक नाबार्ड के योगदान एवं संगठनात्मक संरचना का प्रश्न है, यह ग्रामीण साख व्यवस्था के केन्द्र के रूप में स्थापित की गई है तथा साथ ही साथ ग्रामीण साख संरचनाओं- व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहयोगी वित्त प्रदान करने हेतु स्थापित की गई है। इस सम्बन्ध में नाबार्ड की स्थापना हेतु कृषि एवं ग्रामीम विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक एक्ट 1982 में निर्दिष्ट इसके योगदान को उद्धृत किया जा सकता है-

".....providing credit for the promotion of agriculture, small scale industries, cottage ad village industries, handicrafts and other rural crafts and other allied economic activities in rural areas with a view to promoting integrated rural development and securing prosperity of rural areas and for matters connected therewith or incidental thereto."

नाबाई एक्ट 1982 के अनुसार नाबार्ड को बहुत विस्तृत और परिवर्तनशील महत्वपूर्ण निम्नलिखित कार्य दिये गये हैं -

(1) सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पकालीन, मध्य कालीन एवं दीर्घकालीन पुनर्वित्तीयन करना,

(2) कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु टर्म ऋण के पक्ष में व्यापारिक बैंकों को पुनर्वित्तीयन करना,

(3) कुछ विशिष्ट दशाओं में प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना,

(4) कृषि, सम्बन्धित क्रियाओं, ग्रामीण कलाकारों एवं उद्योगों तथा अन्य ग्रामीण विकास के लिए साख हेतु विकास नीतियाँ, नियोजनों और क्रियान्वयन सम्बन्धी शर्तों पर नियन्त्रण करना,

5) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए निवेश व उत्पादन प्राण देने वाली संस्थाओं की शीर्ष पुर्नवित्त एजेन्सी के रूप में कार्य करना।

(6) पुर्नवास योजना तैयार करने, उनकी मानीटिरिंग करने, ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं का ढाँचा सुधारने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने आदि के साथ-साथ ऋण वितरण प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करने के उपाय करना,

7) उन परियोजनाओं की मानीटिरिंग करना जिनकी पुर्नवित्त व्यवस्था स्वयं द्वारा की गई हो,

(8) प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यमकालीन ऋण बढ़ाना,

(9) ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार परियोजनाएँ बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कोष की स्थापना करना,

(10) ग्रामीण विकास एवं कृषि साख हेतु प्रशिक्षण, शोध एवं परामर्श सम्बन्धी कार्यों को करना,

(11) ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित विकास क्रियाओं के सवंर्धन हेतु सभी कृषि एवं ग्रामीण ऋण संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना,

(12) राज्य सरकारों तथा सहकारी समितियों के परामर्श, सुझाव एवं निर्देशन हेतु सदैव तत्पर और उपलब्ध रहना।

मोटे तौर पर इन सारे कार्यों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है,

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण एवं साख संस्थाओं को पुनर्वित्तीयन करना,

(2) संस्थागत विकास को संवर्धित करना अथवा नवीन संस्थाओं को लाना,

(3) ग्राहक बैंकों का निरीक्षण, निर्देशन एवं मूल्यांकन करना।

उपर्युक्त सन्दर्भित क्षेत्रों में सफलता या असफलता सम्बन्धी किसी निर्णय देने के पूर्व यह उल्लेखनीय है कि अपने स्थापना के दस वर्षों (10 years) की अवधि में नाबार्ड ने अपने सहभागी बैंकों के पुनर्वित्तीयन में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। इसका लक्ष्य अपने कार्यों के बढ़ते हुए दर से गैर-कृषि फार्म क्षेत्रों में विविधीकरण करने हेतु कदम उठाना, विशिष्ट उत्पादन कार्यक्रमों तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सहयोग देना रहा है। किन्तु समयान्तर में यह पाया गया कि इसके द्वारा पुनर्वित्तीयन क्रिया अधिक महत्वपूर्ण रही, जबकि अन्य दो क्रियाओं का महत्त, जो दूसरे स्थान पर रहे, नाबार्ड का विकासात्मक योगदान कम महत्व का है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि अधिक व्यापक नवप्रर्वतक तथा दूर-दृष्टिगामी प्रेरकों के दृष्टिकोण से अपने ग्राहक बैकों, अन्य अंगों, राज्य सरकारों तथा विकास खण्डों और ग्राम स्तरों को लिया जाये। यदि देश के ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नाबार्ड को नेतृत्व का योगदान करना है तो कृषि परियोजनाओं हेतु पुनर्वित्तीयन के अतिरिक्त अपनी क्रिया-कलापों को इसे विस्तृत करना होगा। जैसा कि नाबार्ड के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से स्पष्ट है कि इसका प्रधान महत्व और योगदान अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिमों हेतु वित्तीय संस्थाओं का पुनर्वित्तीयन करना है, जबकि शर्त निदिष्ट विनियोग साख का पुनर्वित्तीयन सभी ग्राहक बैंकों को उपलब्ध रहता है, परन्तु उत्पादन और विपणन हेतु अल्पकालीन ऋण तथा विनियोग हेतु मध्यकालीन ऋण केवल सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तक ही सीमित है।

जहां तक इन पुनर्वित्तीयन दीर्घकालीन विनियोग के स्रोतानुसार बँटवारे का प्रश्न है, उसमें वाणिज्य बैंक और भूमि विकास बैंक महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। इनमें भी वाणिज्य बैंकों का योगदान विशेष रहा है। फलतः उनमें अतिदेय की समस्या के कारण पुनर्वित्तीयन योग्यता की घटती हुई स्थिति उत्पन्न हो गई। 1991-92 में कुल पुनर्वित्तीयन (2,054 करोड़ रुपये) का लगभग आधा भाग (46.3 प्रतिशत) वाणिज्य बैंकों द्वारा था, जबकि भूमि विकास बैंकों का एक तिहाई से कम (32.0 प्रतिशत) था और राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा अपेक्षाकृत बहुत कम था। यह क्रमशः 7.3 और 14.4 प्रतिशत था। वर्ष 2000-01 में संस्थागत साख के रूप में सहकारी बैंकों का योगदान कुल वितरित कृषि ऋण में 40.7 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 7.3 प्रतिशत तथा

व्यापारिक बैंकों का 52.0 प्रतिशत था जो वर्ष 2004-05 में निम्नानुसार हो गया। सहकारी बैंकों का योगदान घटकर 26.6 प्रतिशत हो गया जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार व्यापारिक बैंकों का योगदान बढ़कर 63.2 प्रतिशत हो गया।

नाबार्ड के द्वारा पुनर्वित्तीयन की व्यूह नीति प्रारम्भ से ही ऐसी क्रिया-कलापों के पुनर्वित्त से सम्बन्धित रही, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों और तकनीकी अवसरों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके। इस तरह से राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित संसाधन, भूमि की उत्पादकता और उसके संवर्धन पर प्राथमिकता दी गई, चूंकि भारत कृषि जोत क्षेत्र की अपनी अधिकत्म सीमा पर पहुंच रहा है। अतः कृषि उत्पाद एवं उत्पादिता को मुख्य रूप से सिंचाई योजनाओं, भूमिगत जल, भूमि को जल प्रयोग हेतु उपयुक्त बनाना, कृषि क्रियाओं में यन्त्रीकरण करना, भूमि प्रयोगों में विविधीकरण लाना तथा बागवानी पर विशेष बल दिया गया। उद्देश्यानुसार नाबार्ड द्वारा दिये गये कृषि वित्तीयन के विवरण को प्रस्तुत किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि साख को विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से वितरित करता है - व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक। वर्तमान में लगभग 1,00,000 प्राम्भिक गाँव स्तर की साख समितियाँ हैं, 368 जिला सहकारी बैंक (DCCS) जिनकी 12,858 शाखाएँ तथा 30 राज्य सहकारी बैंक तथा इनकी 953 शाखाएँ हैं जो भारत में अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रही हैं। दीर्घकालीन सहकारी ऋण का ढाँचा, 19 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की 2609 सहायक इकाइयों की सहायता से 31 मार्च 2005 को कार्य कर रही हैं। 772 प्रारम्भिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अपनी 1049 शाखाओं के साथ कार्यरत है।

**सन्दर्भ-ग्रंथ सूची**

1. Adiseshiah, H.S., Tenth Plan Perspectives, Lancer International, New Delhi, 2007

2. Agrawal, A.N., Verma, H.O, & Gupta, R.C., India - Economic Information Year Book, 2000-01, National Publishing House, New Delhi, 2001.

3. Andey, K.K., Money Foreign Exchange and Banking, Atma Ram & Sons, Delhi, 1963.

4. Banerjee, B.N., Industry, Agriculture and Rural development, B.R. Publishing Corporation, Delhi, 2007-08.

5. Basu, C.R., Central Banking in a Planned Economy - The Indian Experiment Tata McGraw - Hill Publishing Company limited, New Delhi, 1978.

6. Basu, S.K., Central Banking in Emerging Countries, Asia Publishing House, Bombay, 1968.

7. Basu, S.K., A Review of Current Banking Theory and Practice, Mac Millan. Calcutta, 1981, 1991, 2001, 2011.

8. Belshaw, W., Provision of Credit with special Reference to Agriculture, Heffer and sons, Cambridge 1931.

9. Bhattacharya, K.N., India's fourth Plan - Test in Growtheanship, Asia Publishing House, Bombay, 1966.

10. Bhattacharya, P.C., Role of Central Bank In a Developing Economy, Publishers Bombay, 1968.

11. Brahmananda, P.R., Growthless Inflation by Means of stockless Money Supply Himalaya Pub. Bombay, 1995.

12. Bright Singh, D., Inflationary Price In India Stance, 1939, 2nd rev. edn., Asia Publishing House, Bombay, 1961.

13. Catanach, I.J., Land Development Banking in India, Oxford University Press Bombay, 2000,

14. Monetary Policy, Financial Stability and Central Banking in India (New Delhi : Macmillan India Ltd.), 2005.

15. Chacko, K.C., The Monetary and Fiscal Policy of India, Bombay, 2007

16. Chakravarty, S., Working of Monetary System in India, 2005.

17. Chouley, B. N., Agricultural Banking in India, National Publishing House, New Delhi, 2008

18. Dr. V. Balmohan, Rao, J.V. Prabhakara & Rao, P. Hrushikesava, Rural Banks and Rural Credit, Discovery Publishing House, New Delhi, 1991,

19. Das, Tashkar, K., Rural Banking, National Institute of Bank Management, Bombay

20. Dadey. C.D., Cooperative Bank and Agricultural Credit, Vora & Co., Bombay

21. Deb, K., Rural Development in India Since Independence, 1966.

# THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X(Online)
Volume-1, Issue-2, July 2022
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-July-2022/17


## Certificate Of Publication

*This Certificate is proudly presented to*

**डॉ. लोहंस कुमार कल्याणी**

*For publication of research paper title*

**"नाबार्ड की संगठनात्मक संरचना एवं कार्य"**

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
and
E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-02, Month July, Year-2022.

**Dr.Neeraj Yadav**
**Executive Chief Editor**

**Dr.Lohans Kumar Kalyani**
**Editor-in-chief**

**Note:** This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com